15.10.20	पत्रावली पेश। [illegible] पक्षकार उपस्थित थे। [illegible] प्रा0 पत्र पेश। copy दी गयी। आ.का.रवी। वकील प्रार्थी द्वारा जवाब का जवाब पेश किया copy दी। आ.का.रवी। वकील पक्षकार बहस करना चाहते थे। वास्ते बहस 23.10.20 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
23.10.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश 5.11.20 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
5.11.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित थे। प्रकरण का सम्यक अवलोकन किया गया। प्रा0 पत्र के तथ्य, वांछित अनुतोष, जवाब प्रा0 पत्र, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात पर विचार किया। बहस विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्ष सुनी गयी बहस पर विचार किया गया। बहस के दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है, कि ख0नं. 271 व 272 हमारा थी। सेटलमेंट में त्रुटि कायम की हुई थी। 272 व 276 के मध्य रास्ते का खाता रिया गया था। दो गावों के रास्ते से बनी हुई जमीन थी। अप्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद थी। ये ग्रामीण के खेत में जबरन घुसकर नया रास्ता बनाना चाहते थे जिन्हें रोका जाये। (conti...)
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म ... में जा...
	ये रास्ते से द्वारा स्थायी कब्जे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में एक नक्शा तैयार करवाई गई है। वादग्रस्त भूमि पर पूर्व से ही स्थायी पत्थर की दीवार बनी हुई है जिसे तोड़कर अप्रार्थीगण नया रास्ता बनाना चाहते हैं। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी। का कथन है, कि रिपोर्ट कागज आदेश जिस पर पूर्व में P.O. सा० के साईन नहीं है, के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब दोनों खातेदार अलग-अलग हैं। आसपास नहीं हैं। सारी रिपोर्ट से यह साबित होता है, कि पूर्व में प्रचलित रास्ता नहीं था। जिसे प्रार्थी० ने स्वयं ही अवरुद्ध किया है। अप्रार्थी० गरीब आदमी है, और उसका रास्ता रोक दिया है जिसे खुलासा करवाया जावे। प्रार्थीगण को कोई T.I. नहीं दी जावे। प्रा० पत्र खारिज किया जावे। रिपोर्ट में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है, कि पिछली बार भी (CONTI...)	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिपोर्ट एवं नक्शा पेश की गई थी। वंशावली से जाने से तीसरा पक्षकार बना क्यों जुगती अप्रार्थीगण का वाजिब भूमि पर कोई रास्ता रहा ही नहीं। अप्रार्थीगण को अपनी भूमि पर जाने का वैकल्पिक रास्ता ख० नं० 244, 247, 253 (सरकारी) से होकर थी। अप्रार्थी० ने पंचायत से मिल कर नया रास्ता बनाने की कोशिश की थी। पंचायत केवल पुराना रास्ता खुलवा सकती है नया रास्ता नहीं दे सकती। हाल नकल जमाबंदी ग्राम मीनाखेड़ी सं० 2069-72 खाता नं. 117 पर खसरा नम्बर 271 रकबा 0.99 हे. भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का स्वीकार प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। प्रार्थीगण प्रकरण वर्णित भूमि के अभि- लिखित खातेदार है। बाबत भूमि पर कब्जा बाबत कोई विवाद नहीं है। विद्वान अधि- वक्ता अप्रार्थी का कथन है, कि रास्ता स्वयं प्रार्थी- गण ने रोका है, इस बाबत मौका रिपोर्ट अवलो- कनीय है। इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है, कि अप्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। ये विगत 4-5 वर्षों से जो उसी रास्ते से आ जा रहे हैं। ये भूमि के सह- खातेदार हैं, इनके पास दूसरा रास्ता भी	(CONTI...)

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अपने कथनों के समर्थन में DNJ 2010 (1) शंकरलाल व अन्य बनाम रतनलाल व अन्य निर्णय दि. 27.7.2009 का उद्धरण पेश किया।
	हमने सम्मान सहित उक्त उद्धरण का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पानगी बाबत विचार किया।
	वैकल्पिक रास्ता होने की स्थिति में निजि खाते की भूमि में रास्ता निकालने का हवाला उक्त नजीर में है।
	इस प्रकार अभिलिखित खातेदार की भूमि में से वैकल्पिक रास्ते की मौजूदगी में रास्ता नहीं बनाया जा सकता। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता निकाला जाता है, तो इससे प्रार्थीगण को ही असुविधा होगी। सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण की बनिस्पत प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।
	प्रार्थीगण के खाते की भूमि में से होकर यदि अप्रार्थीगण रास्ता बनाकर आते-जाते हैं, तो इससे अप्रार्थीगण को कोई क्षति नहीं होगी, परन्तु प्रार्थीगण को इस कृत्य से ऐसी क्षति होना संभाव्य है, जिसकी मुद्रा के रूप में CONTI-

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आँकलन किया जाना सम्भव नहीं है।	
	प्रकरण पर सम्यक विचार किया। प्रा० पत्र को R.T. Act की धाराओं पर परखा गया। प्रार्थीगण को या अप्रार्थीगण को क्या स्वत्वाधिकार प्राप्त है? या होने चाहिये? इसका विनिश्चय सम्यक साक्ष्य तथा समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रा० पत्र या जवाब के आधार पर। परन्तु प्रकरण की एक विवाद्य वस्तु को सुरक्षित, संरक्षित रखने की उपयोगिता रखते हुये तथा पक्षकारान के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ प्रा० पत्र अंशतः स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अतः गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण ग्राम मीन्याखेड़ी की भूमि ख० नं० 271 रकबा 0.99 हे० में से कोई रास्ता कायम नहीं करें। किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत खिलाफ प्रार्थीगण नहीं करें मौके की यथा स्थिति भी मूलवाद के निस्तारण पर्यन्त बनाये रखें।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद 1714/16 के साथ संलग्न रहे।	
	निर्णय आज दिनांक 04.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(रेशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	